

205

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 161/09

दायर दिनांक:- 11.08.2009

जीसीएमएस नं. 2016/00153

उनवान

बुद्धराम पुत्र नथुआ जाति जाटव निवासी महकला तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—वादीगण—04

बनाम

लखनसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील हिण्डौन जिला
करौली।

—प्रतिवादीगण—09

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी

निर्णय

दिनांक:- 3/7/2024

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 161/2009 बुद्धराम बनाम लखनसिंह अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली